डिस्कलेमर

आदेश संख्या 25/2025-26 के पृष्ठ 1, 2 और 3 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

ऐरा/20010/एम.वाई.टी.पी./आर.एस.आई.सी.एल./सी/जयपुर/सीपी-II/2016-17

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

Airports Economic Regulatory Authority of India

*****

<u>आदेश संख्या 25/2025-26</u>

तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली– 110003.

जारी करने की तारीख: 27.02.2026

सेवा	:	**कार्गो हैंडलिंग सेवा**
सेवा प्रदाता	:	**राजस्थान स्मॉल इंडीस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड**
हवाईअड्डा	:	**जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, जयपुर**
हवाईअड्डा प्रचालक	:	**जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जेआईएएल)**

विषय: मैसर्स आरएसआईसीएल द्वारा जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रदान की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

<u>स्वतंत्र सेवा प्रदाता की प्रस्तुति :</u>

1. राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएसआईसीएल), राजस्थान सरकार का उपक्रम है जो 1979 से जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सीमा शुल्क संरक्षकता के अंतर्गत एक स्वतंत्र सेवा प्रदाता (आईएसपी) के रूप में एयर कार्गो कॉमप्लेक्स का प्रचालन कर रहा है। इससे राजस्थान का एक्सिम व्यापार सुगम हो गया है।

2. स्वतंत्र सेवा प्रदाता ने दिनांक 30.12.2025 की ई-मेल द्वारा सूचित किया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा अक्तूबर, 2020 में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जेआईएएल) को जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे का प्रचालन और प्रबंधन सौंपे जाने के बाद नए हवाईअड्डा प्रचालक जेआईएएल ने एएआईसीएलएएस और आरएसआईसीएल के बीच हुए मौजूदा करार को आगे बढ़ाने से मना कर दिया। मैसर्स जेआईएएल ने आरएसआईसीएल को जयपुर हवाईअड्डे पर उसके द्वारा प्रचालन किए जा रहे मौजूदा एयर कार्गो परिसर को खाली करने के लिए नोटिस जारी किए।

3. आरएसआईसीएल के प्रबंधन ने आरएसआईसीएल द्वारा जयपुर हवाईअड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो प्रचालन जारी रखना सुनिश्चित करने के लिए 10.05.2024 को राजस्व-शेयरिंग आधार पर एएआईसीएलएएस के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया, जिसके द्वारा आरएसआईसीएल ने जयपुर हवाईअड्डे पर एएआईसीएलएएस एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कार्गो प्रचालन और विनियमित एजेंट (आरए) का कार्य अपने पास रख लिया। यह करार उस परिसर को सौंपने/अधिकृत करने की तारीख से शुरू होने वाले 3 वर्ष के लिए लागू होगा, जिसे आपसी सहमति से अगले 3 वर्ष के लिए और बढ़ाया जाएगा।

4. आईएसपी ने बताया कि एएआईसीएलएएस के साथ समझौता ज्ञापन करने से पहले वे केवल माल ढुलाई एजेंटों से संबंधित कार्गो हैंडलिंग सेवा प्रदान कर रहे थे। परंतु, उपर्युक्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद, वे विनियमित एजेंटों के रूप में कार्य कर रहे हैं और एयरलाइनों से संबंधित कार्गो हैंडलिंग सेवा भी प्रदान कर रहे हैं।

5. ऐरा द्वारा आरएसआईसीएल के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए पहले से अनुमोदित टैरिफ़ में केवल आयात/निर्यात से जुड़ी सेवाएं शामिल है और इसमें एयरलाइनों से जुड़ी सेवाओं की टैरिफ़ शामिल नहीं है।

6. मैसर्स आरएसआईसीएल ने दिनांक 30.12.2025 के पत्र के माध्यम से प्राधिकरण से अनुरोध किया कि वह एयरलाइनों से संबंधित कार्गो सेवाओं के लिए उसके द्वारा प्रस्तावित तदर्थ टैरिफ को विनियमित टैरिफ निर्धारित होने तक की अवधि, अर्थात 31.03.2026 तक के लिए अनुमोदित कर दे।

प्राधिकरण की जांच

7. प्राधिकरण ने दिनांक 16.11.2018 के आदेश संख्या 29/2018-19 के माध्यम से जयपुर हवाईअड्डे पर माल ढुलाई एजेंटों/निर्यातकों और आयातकों से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवा के संबंध में आरएसआईसीएल के लिए नियमित टैरिफ द्वितीय नियंत्रण अवधि (01.04.2016 - 31.03.2021) के लिए अनुमोदित की थी, जो प्रारंभ में 31.03.2019 तक के लिए थी, क्योंकि आरएसआईसीएल का रियायत करार 31.03.2019 तक वैध था। परंतु, उसी आदेश में प्राधिकरण ने कहा कि यदि रियायत करार 31.03.2019 से आगे बढ़ाया जाता है, तो टैरिफ 31.03.2021 तक लागू रहेगी।

   स्वतंत्र सेवा प्रदाता के लिए लागू टैरिफ (31.03.2019 तक प्रचलित) की वैधता को समय-समय पर अंतरिम आधार पर बढ़ाया गया है, क्योंकि आरएसआईसीएल, एएआई/एएआईसीएलएएस के साथ इसका नियमित रियायत करार खत्म होने के बाद, हवाईअड्डा प्रचालक के साथ एक तदर्थ व्यवस्था के रूप में जयपुर हवाईअड्डे पर प्रचालन कर रही थी। आरएसआईसीएल के लिए अंतरिम रूप से बढ़ाई गई मौजूदा टैरिफ 31.03.2026 तक वैध है।

8. प्राधिकरण ने नोट किया है कि एएआईसीएलएएस ने जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अपने अंतर्राष्ट्रीय कार्गो प्रचालनों को संभालने के लिए मैसर्स आरएसआईसीएल को एक नई कार्गो हैंडलिंग एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया है। आरएसआईसीएल और एएआईसीएलएएस ने राजस्व हिस्सेदारी आधार पर 10.05.2024 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया। उपर्युक्त एमओयू के अनुसरण में, आरएसआईसी ने जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एएआईसीएलएएस के अंतर्राष्ट्रीय कार्गो प्रचालनों को अपने पास ले लिया है और एएआईसीएलएएस के परिसर से नियमित एजेंट (आरए) के रूप में कार्य कर रहा है।

यह नोट किया गया है कि आरएसआईसीएल को एएआईसीएलएएस द्वारा केवल "अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग प्रचालन" ही सौंपे गए है, जबकि एएआईसीएलएएस जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अंतरदेशीय कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करना जारी रखे हुए है।

9. स्वतंत्र सेवा प्रदाता ने जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवा के लिए तदर्थ टैरिफ अनुमोदित कराने के अपने अनुरोध के साथ ये दस्तावेज़ प्रस्तुत किए हैं:

   (i) एएआईसीएलएएस और आरएसआईसी के बीच हुए दिनांक 10.05.2024 के समझौता ज्ञापन (एमओयू) की प्रति;
   (ii) बीसीएएस का दिनांक 16.09.2025 का पत्र, जिसमें जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर मैसर्स आरएसआईसी के सुरक्षा कार्यक्रम के अनुमोदन और आरएसआईसीएल के विनियमित एजेंट (आरए) के तौर पर पंजीकरण की जानकारी दी गई है। यह ध्यान में आया है कि सुरक्षा कार्यक्रम जारी होने की तारीख से पांच वर्ष के लिए वैध है।

10. प्राधिकरण ने देखा कि स्वतंत्र सेवा प्रदाता ने एएफएस कार्गो के लिए कोई रियायती टीएसपी प्रभार नहीं दिया था। इस मामले में ऐरा द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में स्वतंत्र सेवा प्रदाता ने 15.01.2026 की ईमेल द्वारा बताया कि एयर फ्रेट स्टेशन (एएफएस) के लिए टीएसपी प्रभार के संबंध में अनुमोदित टैरिफ में कम से कम 30% की रियायत एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (आरएजेएसआईसीओ), जयपुर में प्रस्तावित टैरिफ पर लागू होगी।

11. यह देखते हुए कि आरएसआईसीएल और एएआईसीएलएएस के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद आरएसआईसीएल ने जयपुर हवाईअड्डे पर एएआईसीएलएएस के अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग प्रचालनों को अपने पास ले लिया है और स्वतंत्र सेवा प्रदाता ने उसी टैरिफ का प्रस्ताव किया है जो पूर्व में ऐरा ने जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एएआईसीएलएएस के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवा के लिए अनुमोदित की थी तो प्राधिकरण 31.03.2026 तक के लिए स्वतंत्र सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत किए अनुसार तदर्थ टैरिफ को मानने का निर्णय लेता है।

आदेश

रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) मैसर्स आरएसआईसीएल को जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए 31.03.2026 तक या आरएसआईसीएल के लिए विनियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर **(अनुलग्नक-I में बताए अनुसार)** टैरिफ लगाने और संग्रहित करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) ऊपर बताए अनुसार अनुमोदित टैरिफ प्रयोक्ताओं पर लगाए जाने वाले अधिकतम प्रभार होंगे और अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

(iii) ऊपर बताए अनुसार अनुमोदित टैरिफ में सभी लागू कर, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं।

(iv) हवाईअड्डा प्रचालक, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर आरएसआईसीएल द्वारा प्रदान की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में इस अनुमोदित टैरिफ को सभी हितधारकों की जानकारी के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

(v) स्वतंत्र सेवा प्रदाता यह आदेश जारी होने की तारीख से दो माह के भीतर बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

(vi) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवा में,

श्री हर्ष शर्मा,
मुख्य लेखा अधिकारी, आरएसआईसीएल,
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी -स्कीम ,
जयपुर -302005.

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ</u>**:**

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
2. मुख्य हवाईअड्डा अधिकारी, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, सांगानेर, जयपुर
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मैसर्स एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड, एएआईसीएलएएस कॉमप्लेक्स, दिल्ली फ्लाईंग क्लब रोड़, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003